

मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान न.64, गली न.1, लाइन न.3, विराटनगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

क्र.2569/महाप्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2024, सतना,

दिनांक- 04.06.2024

प्रति,

वन मण्डल अधिकारी,
वन मण्डल-सतना,
जिला-सतना (म.प्र.)

o/c

विषय: सतना जिले के अंतर्गत वनमण्डल सतना में सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084हे.) वन भूमि महाप्रबंधक, मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित, सतना को उपयोग पर देने बाबत। (Online Proposal no. FP/MP/WATER/39226/2019)।

- संदर्भ: 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-एमपीबी/027/2022-बीएचओ, दिनांक 15/04/2024।
2. कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन भोपाल का पृष्ठांकन क्र. /एफ-5/1152/2022/10-11/2109 दिनांक 18.04.2020।
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल-सतना, का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 09/05/2024।

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्रमांक(2) के माध्यम से कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) वन भवन म0प्र0 भोपाल के पृष्ठांकन क्रमांक 027 दिनांक 15/04/2024। से विषयांकित प्रकरण में पृथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है।

भारत सरकार द्वारा जारी पृथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में तैयार कर हार्ड कॉपी दो प्रतियों में प्रस्तुत करने हेतु संदर्भित पत्र क्रमांक (1) के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुये है।

उपरोक्त तारतम्य में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करने हेतु आवेदक संस्था म.प्र. जल निगम मर्यादित पी.आई.यू. सतना, अनुबंधानुसार वचनबद्ध है एवं प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में तैयार कर हार्ड कॉपी दो प्रतियों में आपकी ओर प्रेषित है।

क्र.	अधिरोपित शर्त	पालन प्रतिवेदन
A	Conditions which need to be complied prior with handing over of forest land by the State Forest Department.	
I	The cost of compensatory afforestation on the 6.084 ha (out of 29.574ha) non-forest CA land at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the state Forest department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.	अधिरोपित समान्य शर्त क्रमांक A(1) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-1

2	Non forest land shall be transferred and mutated in favour of the state forest department and documents shall be submitted.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक A(2) के पालन में गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है। जिस हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र एवं हस्तान्तरण संलग्न है। परिशिष्ट-2
3	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the state forest department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as reserved forest under section-4 or protected forest under section-29 of the Indian forest act, 1927 or under the relevant section(s) of the state forest act. A copy of the notification may be submitted in stage-I compliance report.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक A(3) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-3
4	The State Government shall charge Net Present Value (NPV) for the 5.252 ha forest area to be diverted under this proposal from the User agency as per orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008 and 09/05/2008 in IA No.566 in WP © No.202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10/2006, 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 & 5-3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक A(4) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-4
5	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited in CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/).	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक A(5) के पालन में सभी राशी ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्प फंड में जमा की जावेगी जिस हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-5
6	Completed compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate form the concerned district Collector.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक A(6) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-6
7	The State Govt. will provide separate enumeration lists for the trees proposed to be felled and not to be felled.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक A(7) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-7
8	DFO shall ensure that no other forest land is utilized for non-forestry purposes during the implementation of this project other than that approved in this project.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक A(8) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-8
9	The User agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक A(9) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। no muck disposal plan एवं वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-9
10	The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details prior to stage-II approval.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक A(10) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-10

11	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of chapter 1 of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No.5-2/2017-FC dated 28.03.2019.	अधिराहित समान्य शर्त क्रमांक A(11) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-11
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).	अधिराहित समान्य शर्त क्रमांक A(12) के पालन में पाला प्रतिवेदन तैयार कर e-portal में अपडेट कर दिया गया है। परिशिष्ट-12
B	Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II Approval .	
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। शर्त क्रमांक B(1) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। परिशिष्ट-13
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest department over 6.084 ha (out of 29.574 ha) non-forest land at Khasra No.2,3,4,5,6 Village-Uraichoua, Tehsil- Uchehra District-Satna at the cost of the user agency, as far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species shall be avoided.	अधिराहित समान्य शर्त क्रमांक B(2) के पालन में मध्य प्रदेश जल निगम परियोजना क्रियान्वयन इकाई सतना के पत्र क्रमांक 2551 दिनांक 04/06/2024 के द्वारा जमा किया जा चुका है। मान्य एवं संलग्न। परिशिष्ट-14
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land. If any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India receipt of the report from the expert committee, shall also be charge by the State Govt. from the user agency. The user agency shall furnish an undertaking to this effect.	अधिराहित समान्य शर्त क्रमांक B(3) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-15
4	The user agency shall restrict felling of trees to the enumerated 691 numbers/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with State Forest department and the State Forest department shall undertake the felling's.	अधिराहित समान्य शर्त क्रमांक B(4) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-16
5	The State Govt. and user agency shall comply with the provision of all the Acts, Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.	अधिराहित समान्य शर्त क्रमांक B(5) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-17
6	The Pipeline shall be laid down 1.5 meter below the ground and after laying down of pipe line the ground will be levelled.	अधिराहित समान्य शर्त क्रमांक B(6)के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-18
7	The User agency shall obtain Environmental Clearance as per provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	अधिराहित समान्य शर्त क्रमांक B(7) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-19

8	Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on the ground at the project cost, as per directions of the concerned Divisional Forest Officer.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक B(8) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-20
9	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक B(9) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-21
10	No labour camp shall be established inside the forest land.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक B(10) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-22
11	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby forests.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक B(11) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-23
12	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक B(12) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-24
13	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक B(13) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-25
14	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Central Government.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक B(14) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-26
15	Any other condition that the ministry of environment, forest & climate change may stipulated from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	अधिरूपित समान्य शर्त क्रमांक B(15) के पालन हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है। वचनपत्र संलग्न है। परिशिष्ट-27

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


महाप्रबंधक

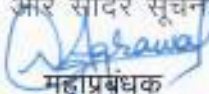
म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया. इकाई सतना

पृ.क्र. 2570 / म.प्र. जल नि. मर्या. / लेखा / पी.आई.यू. सतना / 2024

दिनांक 04/06 / 2024

प्रतिलिपि:

1. कार्यालय प्रधान मुख्य, वनसंरक्षक (कक्ष भू प्रबंध), वन भवन भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।


महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि.क्रिया. इकाई सतना

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1152/2022/10-11/2108 भोपाल, दिनांक 18-4-24
प्रति,

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वन मण्डल, सतना, मध्यप्रदेश।

विषय:- सतना जिले में सतना बाण सागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत पाईप लाईन के निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर वनभूमि (पूर्व में आवेदित 6.084 हेक्टेयर वनभूमि) महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, सतना को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPR 027/2022-BHO दिनांक 15.04.2024

--- 0 ---

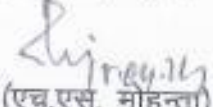
उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। जिसके द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति जारी की है।

स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों के अनुसार आवेदक संस्थान को वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि एवं नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि ऑनलाईन कैम्पा मद में राशि जमा करने हेतु मांग पत्र जारी करें। जिन शर्तों के पालन में आवेदक संस्थान से वचन पत्र प्राप्त किया जाना है, प्राप्त कर पालन प्रतिवेदन के साथ भिजवायें। साथ ही प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरण/नामान्तरण, फार्म पी-2, कब्जा रसीद आदि की प्रति भिजवायें। प्रकरण में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर सतना के प्रमाण पत्र की प्रति भी इस कार्यालय को भिजवायें।

प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत आरक्षित अथवा संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना प्रारूप अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू-अभिलेख) को 10 दिवस के अन्दर भेजकर पालन प्रतिवेदन के साथ प्रतिलिपि इस कार्यालय को भेजें।

अतः भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन अपलोड कर इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में भारत सरकार से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

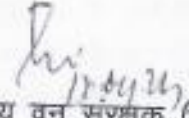
-2-

पृ. क्रमांक/एफ-5/1152/2022/10-11/2/109

भोपाल, दिनांक 18-4-24

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन भू-अभिलेख) वन भवन, भोपाल, म.प्र. की ओर भेजकर अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी कर दी गई है, प्रकरण में प्राप्त गैर वनभूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत आरक्षित अथवा संरक्षित वन घोषित करने की अधिसूचना का प्रारूप प्राप्त कर अधिसूचना जारी कराकर अवगत कराने का कष्ट करें।
 2. मुख्य वनसंरक्षक, (क्षेत्रीय) रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
 3. महाप्रबंधक, जल निगम मर्यादित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सतना, मध्यप्रदेश।
- की ओर संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-3, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2465525 E-mail: powr.bpl-mef@nic.in



संज्ञांक 6 एमपीवी 027/2022-वीएचजी/

दिनांक 15/04/2024

प्रति,

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल ।

विषय: सतना जिले में सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत पाईप लाईन बिछाने हेतु 5.252 हेक्टेयर (औसतमईन आवेदित 6.084 हे.) आरक्षित वनभूमि महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित को उपयोग पर देने कावत (Online Proposal No. FP/MP/WATER/39226/2023).

Sir,

This refers to letter Nos. F-5/1152/2022/10-11/2862 dated 17/08/2022, 2296 dated 30/05/2023, 2218 dated 24/07/2023 and 1194 dated 21/02/2024 of PCCF/ APCCF(LM) & Nodal Officer, Govt. of Madhya Pradesh on the above mentioned subject seeking prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change under section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

After due consideration of the proposal of the State Government and on the decision of Regional Empowered Committee in its 4th meeting of 2024 on 12/03/2024, "in-principle" approval of the Central Government, is hereby conveyed for diversion of 5.252 ha (online proposed 6.084 ha) Reserved Forest land for laying of Water Pipeline under Satna Bansagar Multi Village Rural Water Supply Scheme in favour of General Manager, Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit in Satna District of Madhya Pradesh, subject to following conditions and stipulations:

A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department

- (1) The cost of compensatory afforestation on the 6.084 ha (out of 29.574 ha) non-forest CA land at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme (including cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provisions for anticipated cost increase for the works scheduled for subsequent years.
- (2) Non-forest land shall be transferred and mutated in favour of the State Forest department and documents shall be submitted.
- (3) The non-forest land which is transferred and mutated in favour of the State Forest Department for the purpose of compensatory afforestation shall be declared as Reserved Forest under Section-4 or Protected Forest under Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 or under the relevant Section(s) of the State Forest Act. A Copy of the notification may be submitted in Stage-I compliance report.

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रधान सचिव वन संरक्षक (मू-प्रमव)
भोपाल

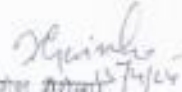
15/04/24

- (4) The State Government shall charge Net Present Value (NPV) for the 5.252 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in LA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. S-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. S-2/2006-FC dated 03/10/2006, S-3/2007 FC dated 05/02/2009 & S-3/2011 FC (Vol-I) dated 06/01/2022 in this regard.
- (5) All the funds received from the user agency under the project shall be transferred / deposited in CAMPA fund only through e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
- (6) Complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- (7) The State Govt. will provide separate enumeration lists for the trees proposed to be felled and not to be felled.
- (8) DFO shall ensure that no other forest land is utilized for non forestry purposes during the implementation of this project other than that approved in this project.
- (9) The User Agency shall submit an undertaking that no muck shall be disposed off in forest land.
- (10) The KML files of diverted area and CA areas shall be uploaded on the e Green watch portal with all requisite details prior to Stage-II approval.
- (11) Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as prescribed in para 1.21 of Chapter I of the Handbook of Comprehensive Guidelines of Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by this Ministry's letter No. S-2/2017-FC dated 28.03.2019.
- (12) The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in/>).
- B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval**
- (1) Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- (2) Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 6.084 ha (out of 29.574 ha) non-forest land at Khasra No. 2, 3, 4, 5, 6. Village- Uraichoua, Tehsil- Uchehra, District-Satna at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local native species shall be planted and monoculture of any species, especially non-native species shall be avoided.
- (3) Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall also be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- (4) The User Agency shall restrict felling of trees to the enumerated 691 numbers/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department or the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department and the State Forest Department shall undertake the felling.
- (5) The State Government and user agency shall comply with the provisions of all the Acts, Rules, Regulation, guidelines, NGT order & Hon'ble Court Order (s) pertaining to this project, if any, for the time being in force, as applicable to the project.

- (6) The Pipeline shall be laid 1.5 meter below ground and after laying of pipe line the ground shall be properly leveled.
- (7) The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- (8) Boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on the ground at the project cost, as per directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- (9) Layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of the Central Government.
- (10) No labour camp shall be established on the forest land.
- (11) The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and staff working at the site so as to prevent any damage and pressure on the nearby forests.
- (12) The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the project life.
- (13) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- (14) The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of the Central Government.
- (15) Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

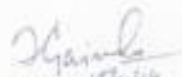
After receipt of the compliance report regarding fulfillment of the conditions as stipulated above, from the State Government, formal approval will be issued in this regard under Section 2 of Forest (Conservation) Act, 1980.

This has been issued with the approval of competent authority


(डॉ. योगेश मेहता)
तकनीकी अधिकारी(वाणिजी)

प्रतिलिपि:

1. वन महानिरीक्षक(वाकसी), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
2. अपर प्रधान मुख्य वन सहायक(ग्र-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल।
3. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल सतना, जिला-सतना, मध्यप्रदेश।
4. महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मरौदित, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सतना, मध्यप्रदेश।
5. आदेश पत्रावली।


(डॉ. योगेश मेहता)
तकनीकी अधिकारी(वाणिजी)

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.64, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-1

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक-A(1) के परिपालन में आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि. क्रिया, ईकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.64, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-2

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक A(2) के परिपालन में राजस्व भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है, जिस हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला सतना (म०प्र०)

प्रकरण क्रमांक/ 194/अ19(111)/2019-20

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड सतना
जिला सतना

..... आवेदक

बनाम

म०प्र०शासन

..... अनावेदक



वन भूमि के बदले राजस्व भूमि की
अदला-बदली बाबत

संशोधित आदेश

(दिनांक 24/05/2022 को पारित)

न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 194/अ19(3)/2019-20 में दिनांक 03.03.2020 को पारित आदेश में आ०नं० 2 रकबा 5.339 हे० त्रुटिवश टंकित हो गया है। अतः आ०नं० 2 रकबा 5.339 हे० के स्थान पर रकबा 5.331 हे० सुधार कर पढ़ा जाये। शेष आदेश यथावत रहेगा। मूल आदेश का अंश भाग होगा।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सतना (म०प्र०)

पू०क्रमांक/ 95 चार.आर./2022
प्रतिलिपि-

सतना, दिनांक-24/05/22

1. सचिव, म०प्र०शासन, राजस्व विभाग भोपाल को सूचनार्थ।
2. आयुक्त, रीवा संभाग रीवा को सूचनार्थ।
3. वन संरक्षक एवं पदेन वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सतना को सूचनार्थ।
4. अनु०अधि० (राजस्व)/तहसीलदार उबेहरा को पालनार्थ।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वा०या० विभाग सतना को सूचनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सतना (म०प्र०)

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सतना
(म0प्र0)

प्र0प्र0/194/आ19(3)/2019-20

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,
खण्ड सतना जिला-सतना (म0प्र0)..... आवेदक।

बनाम

म0प्र0 शासन.....

वन भूमि के बदले राजस्व भूमि
की अदला-बदली वास्तु।



आदेश

(दिनांक 03.03.2020)

कार्यपालन यंत्री लो0 स्वा0 यांत्रिकी विभाग, खण्ड सतना जिला सतना द्वारा पत्र क्रमांक 2178/तक./का.यं./लो.स्वा.यां.खण्ड/19, सतना दिनांक 31.7.19 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि सतना बाणसागर समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित टंकियो, एम.बी.आर., क्लियर वाटर पम्पिंग मेन इत्यादि के निर्माण हेतु वन विभाग की 115.39 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। वन भूमि के बदले राजस्व भूमि वन विभाग को अन्तर्गत किया जाये।

2- वनमण्डल अधिकारी, सतना द्वारा पत्र क्रमांक/मा.वि./8484, सतना दिनांक 02.09.2019 में लेख किया है कि सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना से प्रभावित होने वाली वन भूमि 115.39 हे0 के बदले में समतुल्य गैर वनभूमि रकवा 29.574 हे0 का चयन किया गया है। ग्राम उरई चुवा तहसील उचेहरा जिला सतना स्थित खसरा क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6 का कुल रकवा 29.574 हे0 के खसरा पंचशाला, मानावित्र, वनभूमि उपयुक्तता प्रमाणपत्र, मौज पंचनामा की छाया प्रति भेज कर वनभूमि के एवज में 29.574 हे0 गैर वनभूमि हस्तान्तरण/नानान्तरण वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित किया गया है।

3- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) उचेहरा से प्रस्तावित राजस्व भूमि के संबंध में जीव प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी (रा0) उचेहरा द्वारा नायब तहसीलदार प्रभारी वृत्त परसननिया, तहसील उचेहरा के प्रतिवेदन पर से प्रतिवेदन किया गया कि मौजा उरई चुवा की आ0नं0 2 रकवा 5.339 हे0, आ0नं0 3 रकवा 1.520 हे0, आ0नं0 4 रकवा 5.352 हे0, आ0नं0 5 रकवा 13.754 हे0 एवं आ0नं0 6 रकवा 3.617 हे0 किता 5 रकवा 29.574 हे0 भूमि वर्तमान खसरे में शासकीय कर्तम दर्ज है। आराजी मौके पर रिक्त है।



किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। वन विभाग द्वारा उक्त आराजी को वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त होना बताया गया है। नायब तहसीलदार वृत्त परसमनिया, हल्का पटवारी/राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थल निरीक्षक, लो0स्वा0यां0विभाग एवं वन विभाग के उपस्थित में किया जाकर कर प्रतिवेदन तैयार किया गया है। मौका पंचनामा, खसरा, नक्शा ट्रेस, वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र, वनसंरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी, सतना व कार्यपालन यंत्री लो0स्वा0यां0 विभाग के आवेदन/मौग पत्र अनुसार सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना से प्रभावित वनभूमि के बदले तात्कालिक रूप से मौजा उरई चुवा, तह0 उचेहरा की प्रस्तावित आ0नं0 2 रकबा 5.339 हे0, आ0नं0 3 रकबा 1.520 हे0, आ0नं0 4 रकबा 5.352 हे0, आ0नं0 5 रकबा 13.754 हे0 एवं आ0नं0 6 रकबा 3.617 हे0 किता 5 रकबा 29.574 हे0 राजस्व भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन विभाग को हस्तांतरित/नामान्तरित किया जाना उचित पाया है।

4- प्रकरण में अपर कलेक्टर सतना से परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। अपर कलेक्टर, सतना द्वारा प्रकरण का परीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया है कि वन मण्डल अधिकारी, सतना के पत्र क्रमांक 8484 दिनांक 02.9.19 एवं अनुविभागीय अधिकारी, उचेहरा के प्रतिवेदन दिनांक 27.11.19 सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना में प्रभावित कुल 115.39 हे0 वन भूमि के बदले तात्कालिक रूप से ग्राम उरई चुवा की प्रस्तावित आ0नं0 2 रकबा 5.339 हे0, आ0नं0 3 रकबा 1.520 हे0, आ0नं0 4 रकबा 5.352 हे0, आ0नं0 5 रकबा 13.754 हे0 एवं आ0नं0 6 रकबा 3.617 हे0 किता 5 रकबा 29.574 हे0 राजस्व भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वन विभाग को हस्तांतरण/नामान्तरण किया जाना उचित होना प्रतिवेदित किया गया है।

5- वन संरक्षक एवं पदेन वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल सतना द्वारा प्रस्तुत पत्र क्र-मा0चि0/8484 सतना दिनांक 02.9.19 एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) उचेहरा, अपर कलेक्टर, सतना के प्रतिवेदन का परीक्षण किया गया, संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित टंकियों, एम0बी0आर0, बिलियर वाटर पम्पिंग मेन इत्यादि के निर्माण हेतु वन परिक्षेत्र उचेहरा अन्तर्गत 115.39 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है। प्रभावित वन भूमि के बदले, तात्कालिक रूप से, वृक्षारोपण हेतु ग्राम उरई चुवा तहसील उचेहरा की आ0नं0 2 रकबा 5.339 हे0, आ0नं0 3 रकबा 1.520 हे0, आ0नं0 4 रकबा 5.352 हे0, आ0नं0 5 रकबा 13.754 हे0 एवं आ0नं0 6 रकबा 3.617 हे0 किता 5 रकबा 29.574 हे0 राजस्व भूमि, वन विभाग के नाम हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की

[illegible]



मध्य प्रदेश कम्प्यूटराइज्ड भू-अभिलेख
पत्रांक पी - 8
खसरा

सी. एफ. अफ. नं. 1112040100000000000018

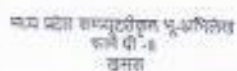
अनुसूची क्रम		सबका नाम/पता		रजि.नं. /सामग्री	सहस्रमूल्य दर/प्रति		क्षेत्रफल		वर्ग 2020-2021	टिप्पणी	
क्रम	बंदाग (और यदि भूमि खाली में स्थितिगत न हो तो खसरा नंबर)	सबका नाम, उसके पिता का नाम और पता जिससे अनुसूची भूमि प्राप्त की गई है और देश/राज्य का नाम	किसी भूमिपूरी या खाली का या किसी भी अन्य प्रकार के उपयोग का नाम, पता का नाम, राज्य का पता की खसरा और उस पर या जिस पर पता का बंदाग	सबका भूमि							
				बंदाग जिससे पता के दौरान न बंदाग जारी		पट्टी का क्षेत्रफल					
				सबका नाम	क्षेत्रफल	सहस्रमूल्य दर/प्रति	पट्टी का क्षेत्रफल	2 से 5 वर्ग मीटर की पट्टी	अन्य पट्टी क्षेत्रफल 5 वर्ग मीटर से अधिक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1.5200	(सालाहीय) का पता पता सारा मध्य प्रदेश कम्प्यूटर पता साराहीय							सहस्रमूल्य 1.5200		सहस्रमूल्य कम्प्यूटर पट्टी के रजिस्ट्रार 154319/3/2019-20 और रजि. 03/03/2020 से एवं सहस्रमूल्य साराहीय के रजिस्ट्रार के रजि. 04/04/2020-21 और रजि. 04/05/2020 से एवं रजि. के नाम अनुसूचित दि. 15-06-2020 को खसरा रजिस्ट्री पता से प्राप्त पट्टी पता एवं सहस्रमूल्य सारा अ सुपरीम पता पता।



मध्य प्रदेश राज्यपालाधीन भू-अभिलेख
परम पी . II
खसरा

सं. एल. आर. नं. 1112040100008005000025

क्रमांक	अप.अर्ब. पुं. (और यदि भूमि खाली है तो उसका वर्णन)	हल्का नं.पुं.पुं.	हल्का नं.पुं.पुं.	रा.वि.नं. गणसंग्रहा	राजसिल, जयपुर	खाली की भूमि					वर्ष, 2020-2021	कैपिटल
						खाली की भूमि						
						खाली की भूमि	खाली की भूमि	खाली की भूमि	खाली की भूमि	खाली की भूमि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	13.7540	(शासकीय) वन विभाग परा सतना मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भूमि शासकीय	बन विभाग (और यदि भूमि खाली है तो उसका वर्णन)	बन विभाग (और यदि भूमि खाली है तो उसका वर्णन)	बन विभाग (और यदि भूमि खाली है तो उसका वर्णन)	बन विभाग (और यदि भूमि खाली है तो उसका वर्णन)	बन विभाग (और यदि भूमि खाली है तो उसका वर्णन)	बन विभाग (और यदि भूमि खाली है तो उसका वर्णन)	बन विभाग (और यदि भूमि खाली है तो उसका वर्णन)	बन विभाग (और यदि भूमि खाली है तो उसका वर्णन)	बन विभाग (और यदि भूमि खाली है तो उसका वर्णन)	



सं. प्र. अ. म. ,111204010000005000028

[illegible]

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान न.64, गली न.1, लाइन न.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-3

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक A(3) के परिपालन में आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.64, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-4

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 है0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक A(4) के परिपालन मे आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. इकाई सतना

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक A(5) के परिपालन में सभी राशि ई-पोर्टल के माध्यम से जमा कि जावेगी, जिस हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.64, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-6

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक A(6) के परिपालन में आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. इकाई सतना



FORM-1

(For linear projects)

Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector - Satna

No... 8906

Dated... 16.2.20

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 5.562 Hectares of forest land proposed to be diverted in favors of read with MoEF's letter dated 5th February 2013 where in MoEF used certain exaction in respect of linear projects it is certified that 5.562 Hectares of forest land proposed to the diverted in favors of **Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit Satna** for **Laying of Pipeline Zone-3 under Satna Bansagar MVRWSS** in **Satna** district falls within jurisdiction of 17 villages in Maihar, Ramnagar, Rampur Baghelan Tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.562 Hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are in closed as annexure A.
- The diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha's have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Preagricultural communities.

Encl.: As above.



(अभिषेक वर्मा)
कलेक्टर / अभ्यक्ष
जिला सारणीय वन अधिकार समिति
जिला सतना (म.प्र.)

FRA

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक A(7) के परिपालन मे आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. इकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.64, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-8

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक A(8) के परिपालन मे आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

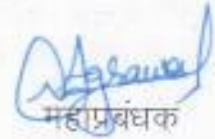
कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.84, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-0

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक A(9) के परिपालन मे आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि. क्रिया. ईकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.64, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-10

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे०) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक A(10) के परिपालन में आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit

(A Govt. of M.P. Undertaking)

Office of General Manager

Project Implementation Unit, Satna (M.P.)

Add: - H.No. 64, Street No. 1, Line no. 3, Virat Nagar, Satna. Email- gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in

MUCK RESTORATION PLAN

Pipeline of length of 16107 m will be laid underground in which muck excavated will be reused for filling of trenches after laying of pipeline.

Total Quantity of excavated material during laying of pipeline will be as follow:-

Calculation-

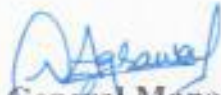
Excavated Volume – $(16107 \times 1.5 \times 1) = 24160.50 \text{ cum}$

Pipe volume = $(3.14 \times 0.20 \times 0.20 \times 16107) = 2023.04 \text{ cum}$

Backfilled soil $(24160.50 - 2023.04) = 22137.46 \text{ cum}$

Remaining Muck (Excavated soil – Backfilled soil) = 2023.04cum

The excavated Soil shall be backfilled and levelled the remaining muck will be used to level the site at the same place.


General Manager
M.P. Jal Nigam Maryadit
PIU Satna (M.P.)

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक A(11) के परिपालन में आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.64, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-12

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक A(12) के परिपालन में पालन प्रतिवेदन तैयार कर ई-पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जावेगा, जिस हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया, इकाई सतना

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा। अधिरोपित शर्त क्रमांक B(1) के परिपालन में आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

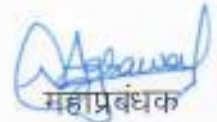
कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.64, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpi@nigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-14

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(2) के परिपालन में आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि. क्रिया. ईकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई सतना (म.प्र.)

(मकान नं.04 गली नं.1 लाइन नं.3 विराट नगर सतना Email-gmsatna.mppjainigan@mp.gov.in)

क्र.2551/महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2024.

सतना, दिनांक-04/06/2024

प्रति,

वनमण्डल अधिकारी

वनमण्डल सतना (म.प्र.)

विषय: सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार हेतु 5.252 (पूर्व आवेदित रकवा 6.084) हेक्टेयर वन भूमि की नेट प्रेजेन्ट वैल्यू एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि जमा करने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक/मा.वि./3716 सतना, दिनांक 09/05/2024.

विषयान्तर्गत लेख है कि सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजनांतर्गत पाईप लाइन के विस्तार हेतु 5.252 (पूर्व आवेदित रकवा 6.084) हेक्टेयर वन भूमि की नेट प्रेजेन्ट वैल्यू एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि ऑनलाइन कैम्पा मद में जमा करने के संबंध में संदर्भित पत्र के माध्यम से लेख किया गया है।

उपरोक्त तारतम्य में लेख है कि संबंधित कुल राशि रु 1,37,11,630/- रुपये का NEFT UTR No. SBINR52024060426928355 दिनांक 04-06-2024 संलग्न कर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही किए जाने हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।



म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि. किया इकाई सतना

पृ.क्र.2552/महा.प्रबं./म.प्र.ज.नि.मर्या./परि.क्रि.ई./2024. सतना, दिनांक-04/06/2024

प्रतिलिपि:

1. परियोजना निदेशक, म.प्र. जल निगम मर्यादित, भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।



म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि. किया इकाई सतना

Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadit

(A Govt. of M.P. Undertaking)

Office of General Manager

Project Implementation Unit, Satna (M.P.)

Add :- H.No. 64, Street No. 1, Line no. 3, Virat Nagar, Satna. Email- gm@mpjalnigam.org.in

No. 2549/G.M./M.P.J.N.M./PIU/2024

Satna, Date: 04/06/2024

To,

Branch Manager
State Bank of India
Personal Banking Branch
Satna (M.P.) 485001

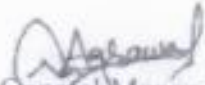
Sub: Fund Transfer payment.

You are requested to make payment to following party from debiting our account no 37762637278 Saving A/c through payment facility of your bank.

S. No	Name of Account Holder	Name of Bank & Branch	A/c No. of payee	IFSC Code	Amount
1	MADHYA PRADESH CAMPA	Union Bank Of India	150765339226845	UBIN0996335	1,37,11,630.00
Total					1,37,11,630.00
(Rs. One Crore Thirty Seven Lakh Eleven Thousand Six Hundred Thirty only)					

Signatory:-


Manager,
M.P.Jal Nigam Maryadit
PIU- Satna.


General Manager,
M.P. Jal Nigam Maryadit
PIU- Satna.



UTR = SBINR52024060426928355

Branch, _____

Date : 04-06-2024

**REAL TIME GROSS SETTLEMENT/ NATIONAL ELECTRONIC FUNDS
TRANSFER (RTGS/NEFT) APPLICATION FORM**

(To be filled in by the Applicant in Block Letters)

(A) Detail of Applicant (Remitter)

- (1) Account Name: Madhya Pradesh Jal Nigam Maryadi
(2) Account No. : 37762637278

(B) Detail of Beneficiary (Receiver of the Funds)

- (1) Beneficiary Name: MADHYA PRADESH CAMPA
(2) Beneficiary's Bank: Union Bank Of India
(3) Branch: Mission Road, Bengaluru
(4) IFS Code: UBIN0996335
(5) Account No.: 150765339228845

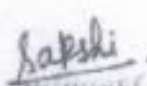
(6) Amount to be remitted: Rs. 18711830.00
Add: Bank Charges: Rs. _____
Total Amount: Rs. _____

Cheque No. _____ : Date _____

Mob : 91- 8815/01498

(Rupees : _____)

Remit the amount as per above details by RTGS/NEFT, by debiting my / our account for the amount of remittance plus your charges. We agree to abide by the terms and conditions for the transfer.

Authorised Signatory 
 **SAPSHI** **MPJNM PIU SATNA**


General Manager
MPJNM PIU SATNA

FOR BANK'S USE ONLY

Debited Applicant's A/c Total Rs. _____

Date of Transfer: _____ Remittance No. _____

Authorised Signatory

Conditions: Remitting banks shall not be liable for any loss of damages arising of resulting from delay in transmission delivery or non-delivery of Electronic message or any mistake, omission, or error in transmission or delivery thereof or in deciphering the message from any cause whatsoever or from the misinterpretation received on the action of destination Bank or any act beyond our control.

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  **Union Bank of India**

100% ROYALTY ON STAFF A Government of India Undertaking

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-06-2024

Agency Name.	MADHYA PRADESH JAL NIGAM MARYADIT BHOPAL
Application No.	5339226845
MoEF/SG File No.	6-MPR027/2022-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address.	D Wing, 2nd Floor, Vindhyachal Bhawan, Bhopal-462004Bhopal
Amount(in Rs)	13711630/-

Amount in Words : One Crore Thirty-Seven Lakh Eleven Thousand Six Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765339226845 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  **Union Bank of India**

100% ROYALTY ON STAFF A Government of India Undertaking

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-06-2024

Agency Name.	MADHYA PRADESH JAL NIGAM MARYADIT BHOPAL
Application No.	5339226845
MoEF/SG File No.	6-MPR027/2022-BHO
Location.	MADHYA PRADESH
Address:	D Wing, 2nd Floor, Vindhyachal Bhawan, Bhopal-462004 Bhopal
Amount(in Rs)	13711630/-

Amount in Words : One Crore Thirty-Seven Lakh Eleven Thousand Six Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	MADHYA PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150765339226845 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jalitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(3) के परिपालन में आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.64, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-16

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(4) के परिपालन मे आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(5) के परिपालन में आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि. क्रिया. ईकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान न.64, गली न.1, लाइन न.3, चिराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-18

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(6) के परिपालन से आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(7) के परिपालन मे आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.64, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-20

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(8) के परिपालन मे आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.64, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-21

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(9) के परिपालन मे आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित

परि. क्रिया. इकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.84, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-22

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(10) के परिपालन में आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(11) के परिपालन में आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. इकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.64, गली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjainigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-24

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(12) के परिपालन में आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे०) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म०प्र० जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(13) क परिपालन मे आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान नं.64, माली नं.1, लाइन नं.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpjalnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-26

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(14) के परिपालन मे आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया, इकाई सतना

मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित

(म.प्र. शासन का उपक्रम)

कार्यालय महाप्रबंधक, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, सतना (म.प्र.)

(मकान न.64, गली न.1, लाइन न.3, विराट नगर, सतना Email-gmsatna.mpnigam@mp.gov.in)

परिशिष्ट-27

वचन पत्र

सतना बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पाईप लाइन के विस्तार/निर्माण हेतु 5.252 हेक्टेयर (आनलाईन आवेदित 6.084 हे0) प्रकरण क्रमांक (एफपी /एमपी /वॉटर /39226/2019) वन भूमि म0प्र0 जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सतना को उपयोग पर दिये जाने हेतु अधिरोपित शर्त क्रमांक B(15) के परिपालन मे आवेदक संस्था वचनबद्ध है।



महाप्रबंधक

म.प्र. जल निगम मर्यादित
परि. क्रिया. ईकाई सतना